दिनांक 22.12.2017 को कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ आयोजित विडियो कॉफ्रेंस की कार्यवाही :–

---

1. **उर्वरक में डी0बी0टी0 / पी0ओ0एस0 मशीन :–**

1.1 निदेशक कृषि द्वारा विडियो कॉफ्रेंसिंग में DBT/PoS योजना की समीक्षा क्रम में निदेशित किया गया की जिन जिलों में PoS मशीन की उपलब्धता हो गयी है, उन जिलों में कार्यरत अधिकृत रिटेलर्स को मशीन उपलब्ध हो, रिटेलर्स प्रशिक्षत हो, प्रणाली में functional प्रदर्शित हो रहा हो,उन सभी रिटेलर्स को दिनांक 25 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, 2017 तक प्रखंडवार स्थल चिन्हित कर PoS मशीन में stock Re-Initialization का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिलें में deadlock की स्थिती उत्पन्न नहीं होगी, जिस रिटेलर का stock Re-Initialization का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जायेगा वो व्यवसाय की मुख्य धारा में जुड़ते चले जायेंगें।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.2 जो जिला stock Re-Initialization का कार्यक्रम नहीं बनाये है, वे आज शाम तक राज्य मुख्यालय को पत्र के माध्यम से सूचित करें। निदेश दिया गया कि राज्य द्वारा निर्गत प्रपत्र में दैनिक उपलब्धि से प्रतिदिन अवगत कराया जाए ताकि उर्वरक मंत्रालय को अपडेट किया जा सके। समीक्षा क्रम में यह ज्ञात हुआ की मे0 चम्बल फर्टिलाईजर्स जिन तीन जिलों में नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है उन तीन जिलों की उपलब्धि संतोषप्रद नहीं है। सभी जिला पदाधिकारियों एवं उर्वरक कंपनी के जिला प्रतिनिधियों को टीम वर्क के रूप में कार्य करने हेतु निदेशित किया गया तथा stock Re-Initialization को सफल बनाने की अपील की गयी।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं उर्वरक कम्पनी)

2. <u>उर्वरक :–</u>

2.1 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उर्वरक एवं बीज नमूना कब लिया गया है तथा उसका फलाफल क्या हुआ एवं अमानक नमूना पर क्या कार्रवाई की गई इससे संबंधित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

2.2 सूचित किया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ से स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण मुख्यालय स्तर से उर्वरक अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि लम्बित स्थल जॉच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0–कंडिका–2.1 एवं 2.2–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2.3 अमानक उर्वरक नमूना का प्रतिवेदन 19 जिलों यथा– भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, सारण, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, मुंगेर, जमुई एवं शेखपुरा से विहित प्रपत्र में अभी तक अप्राप्त है। प्रतिवेदन माननीय मंत्री, कृषि को उपलब्ध कराया जाना है। अतः विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2.4 कालाबाजारी, तस्करी एवं विचलन का मासिक प्रतिवेदन भारत सरकार से प्राप्त विहित प्रपत्र में अभी तक मात्र सहरसा, औरंगाबाद, कैमूर, मधेपुरा, बक्सर, नालन्दा एवं पटना से प्राप्त हुआ है। शेष जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी को अविलम्ब प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका 2.3 एवं 2.4–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2.5 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को पूर्व वर्षो तथा वर्तमान वर्ष का लम्बित उर्वरक अनुदान सत्यापन प्रतिवेदन प्रपत्र बी01 एवं बी02 में अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया। ताकि प्रपत्र बी01 एवं बी02 ससमय भारत सरकार को भेजा जा सके।

2.6 सूचित किया गया कि महालेखाकार द्वारा वर्ष 2012–17 तक का यूरिया अनुदान का अंकेक्षण किया जाने वाला है। मुख्यालय स्तर पर अंकेक्षण होने वाला है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 25 टेबुल में प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0–कंडिका–2.5 एवं 2.6– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3. हरी चादर योजना अन्तर्गत गरमा, 2018 हेतु ढैंचा एवं मूंग बीज की आवश्यकता सम्बंधी प्रतिवेदन अभी तक किसी भी जिला से प्राप्त नहीं हुआ है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यह प्रतिवेदन आज शाम तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4. परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत चयनित गाँव की सूची, कृषकों की सूची एवं कृषि समन्वयकों का Tagging सम्बंधी प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2017 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। जो अभी तक किसी भी जिला से प्राप्त नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि इसे अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

5. जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणिकरण योजनान्तर्गत कृषक समूह का गठन कर उसका पंजीकरण कराकर सूची 9 जिलों यथा– पटना, नालन्दा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर एवं खगड़िया को भेजना था। जो अभी तक अप्राप्त है। जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा बताया गया कि उनके जिला में पंजीकरण कराने में कठिनाई हो रही है। उन्हें जिला सहकारिता पदाधिकारी से सम्पर्क कर समस्या का निवारण करने का निदेश दिया गया।

जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर ने बताया कि संबंधित कृषि समन्वयकों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेन्सी से सम्पर्क कर प्रशिक्षण/परिचर्चा की तिथि का निर्धारण कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

6. इनपुट सब्सिडी कार्यक्रम राज्य के चार जिलों यथा– पटना, वैशाली, नालन्दा एवं समस्तीपुर में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

7. राज्य के 18 जिलों में मिनी लैब की स्थापना की जानी है। इससे सम्बंधित सूची अभी तक मात्र अरवल जिला से प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि शेष जिले डी0एल0ई0सी0 से पारित सूची दिनांक 29.12.2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

8. <u>विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत राशि की निकासी की स्थिति :–</u>

राज्य स्तरीय मासिक बैठक एवं विडियों कॉन्फ्रेंस से समीक्षा में बार–बार निदेश दिये जाने के बावजूद राशि की निकासी एवं कोषागार में लम्बित विपत्र को मिलाकर अभी भी अररिया, भागलपुर, मधुबनी, सुपौल, पश्चिम चम्पारण, औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, जहानाबाद, कैमूर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सारण एवं सीतामढ़ी की उपलब्धि 35 प्रतिशत से कम है। निदेश दिया गया कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक सभी जिला कम से कम 45 प्रतिशत तक उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

9. <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :–</u>

9.1 समीक्षा के क्रम में बताया गया कि रा0खा0सु0मि0 वर्ष 2015–16 का लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र 6 जिलों यथा–समस्तीपुर, नालन्दा, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण एवं कटिहार का महालेखाकार से समायोजित हो गया है। 15 जिलों यथा–खगड़िया, जहानाबाद, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, गोपालगंज, पूर्णिया, सीतामढ़ी, किशनगंज, पटना, वैशाली एवं सारण का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को समर्पित कर दिया गया है।

निदेश दिया गया कि जिन जिलों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को भेजा जा चुका है उन जिलों में रा0खा0सु0मि0 की राशि की अविलम्ब निकासी की जाय।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

9.2 प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा बताया गया कि 22 जिलों यथा पटना, भभुआ, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, रोहतास, गया, सारण, सिवान, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, शिवहर एवं वैशाली का भौतिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अप्राप्त है। इसे ई–मेल से आज शाम तक भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

10 <u>भूमि संरक्षण निदेशालय की योजना :–</u>

- <u>राज्य योजना, 2016–17</u>

इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 3000.00 लाख रू0 के विरूद्ध अबतक 2381.15 लाख रू0 व्यय किया गया है, जिसमें गया, जहानाबाद, शेखपुरा एवं अरवल की स्थिति 60 प्रतिशत से भी कम है। संबंधित उप निदेशक (कृ0अभि0)/ सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संक्षण को निदेश दिया गया है कि 31 दिसम्बर,2017 तक शत–प्रतिशत राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनु0– सभी संबंधित उप निदेशक (कृ0अभि0)/सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संक्षण)

- <u>राज्य योजना,2017–18</u>

इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 2990.41 लाख रू0 के विरूद्ध अबतक 1484.22 लाख रू0 उपावंटित किया गया, जिसमें अबतक 258.67 लाख रू0 व्यय हुआ है। संबंधित उप निदेशक (कृ0अभि0)/ सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संक्षण को निदेशित किया गया है कि 25 दिसम्बर, 2017 तक 90 प्रतिशत राशि व्यय कर प्रतिवेदित करना सुनिशिचित करें ताकि पी0एल0खाता से द्वितीय किस्त की निकासी की जा सके।

(अनु0– सभी संबंधित उप निदेशक (कृ0अभि0)/ सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संक्षण)

- <u>BGREI Sub Plan,2016–17</u>

इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 1854.99 लाख रू0 के विरूद्ध अबतक 1078.34 लाख रू0 व्यय किया गया है जिसमें प0 चम्पारण, अरवल , बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, पटना, सारण, शेखपुरा, शिवहर एवं वैशाली जिले का प्रगति 50 प्रतिशत से कम है। अतः सभी कार्यान्वयन एजेंसी को 31 दिसम्बर,2017 तक शत–प्रतिशत राशि व्यय कर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया ।

(अनु0–सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/ उप निदेशक (कृ0अभि0)/सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संक्षण)